

“बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. धिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95

रायपुर, मंगलवार दिनांक 22 मई 2001 - ज्येष्ठ 1, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 313/488/परि./2001 - छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के मद चार के उप-मद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र हेतु नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् -

तालिका

क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
01	रायपुर	1	रायपुर से कुम्हारी
		2	रायपुर से उपरवारा
		3	रायपुर से माना कैम्प व्हाया देवपुरी
		4	रायपुर से माना कैम्प व्हाया व्ही.आई.पी. रोड
		5	रायपुर से अमलेश्वर

क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
		6	रायपुर से धरसीवा
		7	रायपुर से दौंदि व्हाया जीरो पाइंट
		8	रायपुर से नवागांव
02	बिलासपुर	1	बिलासपुर से सेन्दरी
		2	बिलासपुर से सांकरी
		3	बिलासपुर से चकरभाठा
		4	बिलासपुर से खूटाघाट
03	गौरला (पेंडा रोड)	1	पेण्डा रोड रेलवे स्टेशन से पेण्डा नगर
04	चांपा	1	चांपा से जांजगीर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2001

क्रमांक एफ 313/488/5-20/आठ-परि./2012.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012 दिनांक 04-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd May, 2011

NOTIFICATION

No. 313/488/Tr./Dept/2001.— In exercise of the power conferred by Sub-Item (c) of Item IV of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notifiel the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes, namely ---

<i>S. No.</i> (1)	<i>City/Town</i> (2)	<i>Adjacent Plaes / Areas</i> (3)	
1	Raipur	1	Raipur to Kumhari
		2	Raipur to Uparwara
		3	Raipur to Mana Camp via Deopuri
		4	Raipur to Mana Camp via VIP Road
		5	Raipur to Amleshwar
		6	Raipur to Dharsiwa
		7	Raipur to Donda via Zero Point
		8	Raipur to Nawagarh
2	Bilaspur	1	Bilaspur to Sendari
		2	Bilaspur to Sankari
		3	Bilaspur to Chakarbhata
		4	Bilaspur to Khutaghat
3	Gaurela (Pendra Road)	1	Pendra Road Railway Station to Pendra Nagar
4	Champa	1	Champa to Janjgir

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. Vij, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

अधिसूचना

क्रमांक 209/तक. विधान/टी.सी./08.- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के मद चार के उप-मद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र हेतु नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् -

सारणी

क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
01	बिलासपुर	1	बिलासपुर से सीपत (एन.टी.पी.सी.)
		2	बिलासपुर से सिरगिट्टी
		3	बिलासपुर से मस्तूरी
		4	बिलासपुर से ताला

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

NOTIFICATION

No. 209/Tak/Vidhan/TC/08.— In exercise of the power conferred by Sub Item (c) of Serial Item IV of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notified the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes —

TABLE

No. (1)	City/Town (2)	Adjacent Places / Areas (3)	
01	Bilaspur	1	Bilaspur to Sipat (N.T.P.C.)
		2	Bilaspur to Sirgitti
		3	Bilaspur to Masturi
		4	Bilaspur to Tala

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
Ashok Juneja, Special Secretary.